

# न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – अंकित कुमार सिंह, IAS

प्रकरण संख्या : 10/2019

रजि. संख्या : 2019/00039

प्रार्थीपक्ष :-

श्री बादर सिंह पिता श्री रमसु, उचित  
मूल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत  
डूंगरीपाडा, भाग प्रथम तहसील  
कुशलगढ

अप्रार्थी :-

1. राजस्थान राज्य द्वाराजिला रसद  
अधिकारी, बांसवाड़ा
2. उपखण्ड अधिकारी, कुशलगढ

बनाम

उपस्थित

श्री भगवत पुरी,  
श्री रवि पुरी

प्रवर्तन अधिकारी,

-विभागीय प्रतिनिधि

-अभिभाषक (अपीलार्थी)

अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियम आदेश 1976) विरुद्ध निर्णय दिनांक 20-09-2019, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुशलगढ प्रकरण संख्या


01/2018

निर्णय

दिनांक :- 25.09.2020

संक्षेप मे प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी, कुशलगढ के प्रकरण संख्या 01/2018 में दिनांक 20-09-2019 को दिए गए निर्णय के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की है कि ग्रामवासी डूंगरीपाडा, नानी का साथ, पलकपाडा कुशलगढ ने उपस्थित होकर मौखिक व लिखित शिकायत पेश करने पर उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ द्वारा क्रमांक 2039 दिनांक 11.09.2019 से कारण बताओ नोटिस जारी कर दिनांक 20.09.2019 तक का समय दिया गया। जिस पर अपीलार्थी को सुने बिना नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत केवल जॉच रिपोर्ट के अधार पर प्राधिकार पत्र 1336/2005 दिनांक 11.11.2005 निरस्त करते हुए प्रतिभूति राशि रुपया 1000/- जब्त करने के आदेश किये है। अपीलगत प्रकरण में दिया गया आदेश (निर्णय) दिनांक 20-09-2019 प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित होकर अपारत योग्य है। अपीलान्ट सन् 2005 से राशन डीलर का कार्य कर रहा है एवं कोई अनियमितता नहीं की है, एवं उपभोक्ताओं को नियमानुसार खाद्यान्न वितरण करता चला आ रहा है। अपीलार्थी के कार्यक्षेत्र में ग्राम डूंगरपाडा, नानी का साथ व पडकपाडा जैसे बड़े गाँव आते है परन्तु कुछ उपभोक्ताओं से बात कर प्रश्नगत कार्यवाही अमल में लायी गई है। शिकायत पत्र



  
जिला कलक्टर  
बांसवाड़ा (राज.)

एवं प्रवर्तन निरीक्षक की जाँच रिपोर्ट में विरोधाभास है। शिकायतकर्ता कर्ता के रहने वाले है एवं किन लोगो के हस्ताक्षर है, इसका कोई उल्लेख शिकायत पत्र में नहीं है। प्रवर्तन अधिकारी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय को प्रेषित टाईप शुदा रिपोर्ट व हस्त लिखित रिपोर्ट में विरोधाभास है। जिन 11 उपभोक्ताओं के राशनकार्ड के इन्द्राज के सम्बन्ध में आपत्ति की गई है, उनके मौखिक बयान अथवा कोई शिकायत जाँचकर्ता अथवा प्रत्यर्थी ने प्राप्त नहीं किये है। उक्त राशन कार्डों में कोई गलत विवरण जैसे कम सामग्री देकर ज्यादा सामग्री का अंकन करने का कोई आरोप नहीं है। पोस मशीन से प्राप्त वितरण की पर्ची नहीं देना एवं महिने के अंतिम 3-4 दिन ही दुकान खोली जाना असत्य है। जाँचकर्ता द्वारा दिनांक 14.02.2018 को निरीक्षण किया गया जो दिनांक महिना मध्य होने पर आती है। तब भी दुकान खुली थी एवं अपीलार्थी दुकान पर मौजूद था। प्रार्थी को अपना प्राधिकार पत्र निरस्त होने व प्रतिभूति राशि रु 1000/- जब्ती के आदेश क्रमांक 2083-84 दिनांक 20.09.2019 की जानकारी होने पर प्रतिलिपि हेतु आवेदन कर निर्णय की प्रति प्राप्त होने के बाद अन्दर मियाद अपील पेश की जा रही है। अपील पेश करने में हुए विलम्ब को क्षमा (Condone) हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पथक से पेश किया गया।


अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलगत प्रकरण में दिया गया आदेश दिनांक 20-09-2019 को अपास्त करने व अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र संख्या 1336/ 2005 बहाल एवं प्रतिभूति रुपया 1000 दिलाये जाने हेतु निवेदन किया।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट/ जिला रसद अधिकारी, बांसवाड़ा, उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ को सम्मन जारी किए गए।

रेस्पोंडेंट/ जिला रसद अधिकारी, बांसवाड़ा द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया कि, रेस्पोंडेंट द्वारा उक्त प्रकरण में तथ्यों के आधार पर विधि संगत ढंग से निर्णय पारित किया गया है। अपीलार्थी के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच में अनियमितता पाये जाने पर उसके विरुद्ध उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 01/2018 दर्ज किया गया। अपीलार्थी विरुद्ध राशन सामग्री वितरण में अनियमितता की शिकायत पर डीलर द्वारा 3-4 माह से खाधान्न नहीं देने, 1 माह का राशन देकर दो माह की पर्ची निकालने, कम मात्रा में खाधान्न देने, विगत छः माह से केरोसीन नहीं देने एवं उपभोक्ताओ से अभद्र व्यवहार करने सम्बन्धी अनियमितताए करना पाया गया। इस प्रकार राजस्थान खाधान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त सं. 5, 8, 9, 11, 15 व 17सी का उल्लंघन किया है। अपीलार्थी के विरुद्ध उपभोक्ताओ की उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ की रात्री चौपाल में लिखित शिकायत प्राप्त हुई। शिकायत की जाँच में उपभोक्ताओ से पुछताछ व राशनकार्ड में इन्द्राजो से अपीलार्थी की अनियमितताए किये जाने की पुष्टि हुई है।

इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा राशन सामग्री वितरण में अनियमितताए की गई है। एवं राजस्थान खाधान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियम) आदेश 1976 के खण्ड 3 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 5, 8, 9, 11, 15 व 17सी के सन्दर्भ में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। अपील अपीलार्थी निरस्त करने निवेदन किया है।



  
जिला कलेक्टर  
बांसवाड़ा (राज.)


दिनांक 18.09.2020 को उभय पक्ष की बहस सुनी गयी। विद्वान अभिभाषक, अपीलार्थी ने अपील में प्रस्तुत किए गए तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा किसी प्रकार से उपभोक्ताओं को राशन वितरण करने में कोई त्रुटी नहीं की गई है। मौखिक साक्ष्य जो बताई गई है, वह राजनैतिक दबाव में तथ्यों के प्रतिकूल जवाब दे रहे हैं, साथ ही सम्पूर्ण पत्रावली पर अपीलार्थी के विरुद्ध नियंत्रित सामग्री अथवा खाद्यान्न के दुरुपयोग अथवा दुर्विनियोग करने का कोई आरोप अथवा साक्ष्य मौजूद नहीं है। सम्पूर्ण मामला केवल मात्र राजनैतिक दबाव में आकर मिथ्या बनाया गया है। रजिस्टर में इन्द्राज सही है। गेहूं, शक्कर व केरोसीन बराबर बांटा गया है। स्टॉक में शेष रहने वाली नियंत्रित सामग्री का वितरण भी प्रति यूनिट निर्धारित मात्रा के अनुसार किया गया है एवं वितरण का रिकार्ड में स्पष्ट अंकन है। गेहूं, शक्कर व केरोसीन का बराबर वितरण किया गया है एवं उसमें कोई अनियमितताएं नहीं रही हैं। अपीलार्थी के विरुद्ध किसी प्रकार की गम्भीर अनियमितता नहीं पाई गई है। अपीलार्थी के विरुद्ध विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है। इसलिए अपील अपीलार्थी की जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुशलगढ का उक्त निर्णय दिनांक 20-09-2019 को अपास्त किया जाकर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र संख्या 1336/ 2005 को पुनः बहाल किया जाने एवं प्रतिभूति राशि रूपया 1000/- दिलाये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रवर्तन अधिकारी (विभागीय प्रतिनिधि) ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त प्रकरण में बाद जांच अनियमितताएं करना पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की गई है। नियमानुसार प्रकरण दर्ज कर प्राधिकार-पत्र निलम्बित किया गया एवं विधि संगत ढंग से सुनवाई की जाकर तथ्यों के आधार पर अप्रार्थी का प्राधिकार-पत्र निरस्त किया गया।

हमने पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया तथा पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी को अपना पक्ष एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया है। इसलिए न्यायहित में प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया जाना हम उचित समझते हैं। उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में प्रार्थी को अपना पक्ष एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने के पर्याप्त अवसर देते हुए पुनः सुनवाई करे।

अतः अपीलार्थीन आदेश दिनांक 20.09.2019 को अपास्त कर सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त समय देते हुए उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ को निर्देशित करते हुए नये सिरे से निर्णय पारित किये जाने प्रतिप्रेषित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25.09.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(अंकित कुमार सिंह)  
जिला कलेक्टर  
बासवाड़ा